

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 518

दिनांक 22/02/2024

प्रार्थीगण :-

1.गुंसाई 2.गोरधन 3.रुगनाथ
पि.जुझा 4.अणसी पत्नि जुझा,
जाति जाट, निवासी धारासर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.गुमना 2.लिखमा 3.खेमा 4.हेमा पि.लाभू 5.नोजी पत्नि लाभू
6.सोभाराम पुत्र सोनाराम फौत के का.मु. - 6/1.भंवराराम
6/2.भारूराम 6/3.सताराम पि.सोभाराम 7.उमाराम पुत्र
प्रभूराम 8.मीरोदेवी पत्नि देवाराम 9.खुमाराम 10.चूनाराम
11.देवाराम 12.तगाराम पि.प्रभूराम 13.गोरधनराम 14.रामाराम
पि.बांकाराम 15.हड्डुमानराम पुत्र तगाराम, जाति जाट, निवासी
धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 91/2021

दिनांक : 22.02.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र धारासर के मौजा धारासर के खेत खसरा सं. 790/458 रकबा 41.02 बीघा एवं खसरा सं. 791/458 रकबा 41.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2024/ 519 to 522

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी गुंसाई वगैरा
3. विप्रार्थीगण गुमना वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 22/02/2024



(सूजभाषम विश्वासे)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन